

प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-29.01.2025 (बुधवार) को अपराह्न 04:00 बजे से VC के माध्यम से आहूत विभागीय (दक्षिण बिहार) समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- V.C के माध्यम से।

1. ईट-भट्टों का निरीक्षण:-

समीक्षा के क्रम में निदेशित किया गया है कि राज्यान्तर्गत कुल ईट-भट्टों की संख्या-6331, पूर्ण भुगतान प्राप्त ईट-भट्टों की संख्या-2408, आंशिक भुगतान प्राप्त ईट-भट्टों की संख्या-शून्य एवं शून्य भुगतान वाले ईट-भट्टों की संख्या-3923 है। पूरे राज्य में वर्तमान वर्ष में ईट-भट्टों से 3567.14 लाख रुपये का समाहरण किया गया है, जो संतोषप्रद नहीं है। सभी जिलों को श्रेणीवार ईट-भट्टों की संख्या के अनुसार राजस्व समाहरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने का निदेश दिया गया। सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षकों को सख्त निदेश दिया गया कि जिन ईट-भट्टों का रॉयल्टी भुगतान प्राप्त नहीं है, उन ईट-भट्टेदारों के उपर नियमानुसार नोटिस तामिला कराते हुए ईट-भट्टें अविलम्ब बंद कराने की कार्रवाई की जाए।

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि बिना रॉयल्टी जमा किये हुए ईट-भट्टा संचालित पाया जाता है, तो संबंधित सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी/खान निरीक्षक पर विभाग की ओर से अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन :- सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदा10/खान निरीक्षक)

2. खान निरीक्षकों का कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन :-

विभाग द्वारा खान निरीक्षकों का औपबंधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन आपत्ति दर्ज करने हेतु जिलों को भेजा जा चुका है। खान निरीक्षकों के मूल्यांकन प्रतिवेदन में अगर कोई आपत्ति हो तो 2-3 दिनों के अन्दर निराकरण प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया। खान निरीक्षकों की मूल्यांकन सूची माह नवम्बर, 2024, दिसम्बर, 2024 एवं जनवरी, 2025 में किये गये कार्यों के आधार पर 07 फरवरी, 2025 तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा। कार्य मूल्यांकन के आधार पर खनन पदाधिकारियों/खान निरीक्षकों को रैंकिंग की सूची के अनुसार शिथिलता बरतने वाले bottom पाँच खनन पदाधिकारियों/खान निरीक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन :- सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदा10/खान निरीक्षक)

3. खनन क्षेत्रों/भंडारण स्थलों एवं अक्रियशील खनन क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण :-

समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि संचालित/असंचालित बालूघाटों से किसी भी प्रकार का अवैध खनन/परिवहन/भंडारण की सूचना पाये जाने पर संबंधित क्षेत्रों के प्रभारी खान निरीक्षकों की व्यक्तिगत जबाबदेही निर्धारित की जायेगी।

यह भी निदेशित किया गया कि नियमित रूप से संचालित/असंचालित बालूघाटों/भंडारण स्थलों पर खान निरीक्षकों द्वारा सघन अभियान चलाकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर मुख्यालय को प्रतिवेदित करें। इस क्रम में निदेशित किया गया कि छापामारी प्रतिदिन नियमित रूप से की जाये एवं कृत कार्रवाई का दैनिक छापामारी प्रतिवेदन मुख्यालय को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से विभागीय कंट्रोल रूम में भेजना सुनिश्चित किया जाय।

अवैध खनन/परिवहन में संलिप्त वाहनों को पकड़े जाने पर नियमानुसार सुसंगत धाराओं के तहत संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज की जाय।

(अनुपालन :- सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदा10/खान निरीक्षक)

4. **विभागीय कंट्रोल एण्ड कमांड सेन्टर से प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR):-**

विभागीय कंट्रोल एण्ड कमांड सेन्टर से भेजी गई शिकायतों से संबंधित लंबित ATR का अद्यतन प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन :- सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदा10)

5. **बालूघाटों की समीक्षा :-**

बालूघाटों के निरीक्षण के क्रम में किसी प्रकार की शिकायत पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन :- सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदा10/खान निरीक्षक)

6. **NIC से संबंधित मामले :-**

NIC के माध्यम से ऑनलाईन चालान काटे जाने की व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर अविलम्ब NIC के प्रतिनिधि को अवगत करावें एवं विभाग को भी सूचित करें।

(अनुपालन :- सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदा10)

7. **DMF से संबंधित मामले :-**

सभी जिलों में रॉयल्टी के सापेक्ष नियमानुसार DMF फंड में राशि जमा हो रही है या नहीं, इसकी स्पष्ट जानकारी जिला खनन कार्यालय में होनी चाहिए। इस संबंध में सभी जिलों से विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया।

खान मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में प्रत्येक जिले का वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2023-24 तक DMF Audit एवं Annual Report को National DMF Portal पोर्टल पर यथाशीघ्र अपलोड कराने का सख्त निदेश दिया गया। साथ ही प्रत्येक जिले को वित्तीय वर्ष समाप्ति के तीन माह के अन्दर Annual Report तैयार कर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

DMF मद में विभिन्न जिलों में काफी राशि पड़ी हुई है, उस राशि के व्यय हेतु नियमानुसार योजनाओं का चयन कर यथाशीघ्र योजनाओं को संपन्न कराने का निदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में पटना, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर एवं बाँका जिला के पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अपने-अपने जिलों में नियमानुसार ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करें जो आम जन-मानस के लिए रोजगार के दृष्टिकोण से लाभदायक हो एवं उससे विभाग की प्रतिष्ठा बढ़े। यह भी निदेशित किया गया कि DMF Fund से तैयार योजनाओं पर विभाग का नाम एवं District Mineral Fund बोल्ड अक्षरों में अवश्य लिखा जाना चाहिए।

(अनुपालन :- सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदा10)

8. जिला टास्क फोर्स की बैठक :-

जिन जिलों में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक नियमित रूप से नहीं हो रही है, उन जिलों के सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि संबंधित समाहर्ता से समन्वय स्थापित कर जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक माह में एक बार निश्चित रूप से कराई जाय एवं बैठक की कार्यवाही मुख्यालय को अवश्य उपलब्ध कराई जाय।

(अनुपालन :- सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदा0)

9. जिला नियंत्रण कक्ष :-

जिन जिलों में जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना नहीं हो पाई है, उस संबंध में अविलम्ब संबंधित समाहर्ता से समन्वय स्थापित कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालन :- सभी सहायक निदेशक/ख0वि0पदा0)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(विनोद दूहने)

निदेशक, खान,

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक :- 746 /एम0, पटना, दिनांक :- 07/02/25

प्रतिलिपि :- माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/विशेष कार्य पदाधिकारी-I, II एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/खनिज विकास पदाधिकारी (मु0/क्षे0)/सभी खान निरीक्षक (मु0/क्षे0)/आई0टी0 प्रबंधक खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, खान